



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1945 (श10)
(सं0 पटना 785) पटना, शनिवार, 30 सितम्बर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2023

अधिसूचना संख्या 11/2023-राज्य कर(दर)

एस० ओ० 239, दिनांक 30 सितम्बर, 2023--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IV में-

(क) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात;

(1)	(2)	(3)
"227क	कोई भी अध्याय	"विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे",- स्पष्टीकरण: बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2

		(102क) में यथा-परिभाषित “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे” से- (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड़; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।”;
--	--	---

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; “(v) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन बिहार माल और सेवा कर अधिनियम (बिहार अधिनियम - 12, 2017), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 14) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड12) 11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 239, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12) 11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2023

Notification No. 11/2023- State Tax (Rate)

S.O. 239, Date 30th September 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim; <i>Explanation:</i> "specified actionable claim" as defined in section 2(102A) of the BGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of— (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;"

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:

"(v) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 11)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 785-571+50-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>